अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001

ई–मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक–AAUY /2019-20/ 569 दिनांक: 02 सितम्बर 2019

सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सेन्टर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर को निर्गत "कारण बताओ नोटिस" संख्या 224 दिनांक 01.06.2019 के सन्दर्भ में प्राप्त प्रतिउत्तर के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश

पत्र संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/224 दिनांक 01 जून, 2019 के द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना–राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय **सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सेन्टर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर** को कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में "कारण बताओ नोटिस" निर्गत किया गया। इस नोटिस के क्रम में सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सेन्टर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर द्वारा अपना प्रतिउत्तर मय सलंग्नों सहित प्रेषित किया गया, जो इस कार्यालय को दिनांक–15.06. 2019 एवं 26.07.2019 को प्राप्त हुआ। सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सेन्टर, काशीपुर द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर व अभिलेखों का अध्ययन एवं परीक्षण करने उपरांत विश्लेषण/निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैः–

1. **प्रथम आरोप** –

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यूरोट्रोमा सैंटर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर, द्वारा किए गए आवेदन पत्र में चिकित्सालय में पंजीकृत डाक्टरों की कुल संख्या 09 है जिनमें डा0 नवप्रीत कौर, स्त्री रोग विशेषज्ञ का नाम भी अंकित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डा0 नवप्रीत कौर एल.डी. भट्ट, राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में संविदा पर पूर्णकालिक एलोपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। सहोता मल्टी स्पेशलिटी

02.09.19

हॉस्पिटल द्वारा 8 अप्रैल 2019 तक कुल 93 केसेज का क्लेम प्रस्तुत किया गया है जिसमें से मुख्यतः 9 केसेज सिजेरियन द्वारा प्रसव, 21 केसेज नवजात शिशुओं से सम्बन्धित तथा 35 केसेज डायलिसिस और 07 केसेज कैटरेक्ट के तथा अन्य व्याधियों के हैं। सिजेरियन द्वारा प्रसव कराये गये 09 केसेज का परीक्षण करने पर यह तथ्य सामने आया है कि 09 केसेज में से 03 केसेज को एल.डी. भट्ट, राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर से रैफर किया गया है जिसमें से एक मरीज नसरीन को रैफरल स्लिप में डा0 नवप्रीत कौर द्वारा स्वयं रैफरल किया गया है तथा रैफरल स्लिप पर निश्चेतक चिकित्सक की उपलब्धता न होना दर्शाया गया है परन्तु 2 बजे के पश्चात् उनके द्वारा सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिजेरियन द्वारा उक्त महिला का प्रसव कराया गया है। एक अन्य केस में भी डा0 नवप्रीत कौर द्वारा एक रोगी नूतन की 02 प्रसव पूर्ण जाँचें एल.डी. भट्ट चिकित्सालय में डा0 नवप्रीत कौर द्वारा की गई हैं परन्तु उपरोक्त महिला का प्रसव डा0 नवप्रीत कौर द्वारा सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कराया गया है। यहाँ उल्लेखित किया जाना उचित है कि सहोता हॉस्पिटल के मालिक उनके पति डा0 रवि सहोता हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि डा0 नवप्रीत कौर द्वारा मरीजों को सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, में जाने हेतु उत्प्रेरित किया गया है। यह कृत्य अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु धोखाधड़ी/षडयंत्र/दुरभि सन्धि का संदेह उत्पन्न करता है।

<u>आरोप संख्या–01 का प्रतिउत्तरः–</u>

(A) डॉ0 नवप्रीत कौर, स्त्रीरोग विशेषज्ञ सितम्बर, से एल0डी0भट्ट राजकीय चिकित्सालय में संविदा चिकित्सक के रूप में कार्यरत है।

(B) अनुबन्ध के अनुसार उन्हे Duty Hours में चिकित्सालय में मरीजों का उपचार करने हेतु नियुक्त किया गया था, Duty Hours के अतिरिक्त कार्य करने हेतु किसी प्रकार का Non-Practicing भत्ता नहीं दिया जा रहा है। न ही अनुबन्ध की शर्तों में यह उल्लेख है कि के Duty Hours अतिरिक्त वो किसी अन्य जगह पर चिकित्सीय सेवाए प्रदान नहीं कर सकती हैं।

(C) डॉ0 नवप्रीत कौर द्वारा राजकीय सेवाओं को सर्वथा पहल देते हुए थोडे ही समय में लगभग 600 मरीजों का ऑप्रेशन द्वारा तथा 2200 मरीजों को सामान्य डिलीवरी के द्वारा प्रसव कराकर एल0डी0भट्ट राजकीय चिकित्सालय में उपचार दिया गया एवं हर प्रसूता को जो उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय आये उन्हे नियमानुसार राजकीय चिकित्सालय में उपचार करने का भरसक प्रयास किया गया है।

02.09.19

(D) डॉ0 नवप्रीत कौर द्वारा राजकीय चिकित्सालय में कार्य को प्राथमिकता दी गई तथा यथा आवश्यकता सामान्य एवं आप्रेशन के द्वारा डिलीवरी राजकीय चिकित्सालय में करायी गयी।

जैसा कि आरोप लगाया गया है कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरो ट्रॉमा सेन्टर, मुरादाबाद रोड़, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड द्वारा किये गये सिजेरियन के 09 केसज में से 03 केसेज का एल0डी0भट्ट राजकीय अस्पताल, काशीपुर से रेफर किया गया जिनमें से एक मरीज नसरीन को रैफर स्लिप में डॉ0 नवप्रीत कौर द्वारा स्वंय रेफर किया गया तथा रैफर स्लिप पर निश्चेतक चिकित्सक की उपलब्धता न होना दर्शाया गया है।

Case-I- महोदय/महोदया इस सम्बन्ध में विन्रम अनुरोध के साथ सूचित किया जाता है कि दिनांक 02.04.2019 को मरीज नसरीन को डॉ0 नवप्रीत कौर द्वारा रेफर नहीं किया गया और न ही रेफर स्लिप पर डॉ0 नवप्रीत कौर के हस्ताक्षर है।

(A) मरीज नसरीन को एल0डी0भट्ट राजकीय अस्पताल, काशीपुर की एल0एम0ओ0 डॉ0 शालिनी द्वारा रैफर किया किया गया तथा रेफर स्पिल के ऊपर भी डॉ0 शालिनी के हस्ताक्षर है। इस तथ्य के प्रमाण की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। जो कि **एनेक्जर–(ए)** है।

(B) दिनांक 02.04.2019 को डॉ0 नवप्रीत कौर ने एल0डी0भट्ट राजकीय अस्पताल से अवकाश लिया हुआ था, इसके प्रमाण स्वरूप ल0द0भ0 राजकीय चिकित्सालय काशीपुर के उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति श्रीमान जी के अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। जो कि **एनेक्जर–(बी)** है।

अतः महोदय/महोदया जी हम आपसे विन्रम प्रार्थना करते है कि इन सभी दस्तावेजों एवं प्रमाण के आधार पर यह स्वतः सिद्ध होता है कि डॉ0 नवप्रीत कौर द्वारा ना तो मरीज को सहोता सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल काशीपुर जाने के लिए उत्प्रेरित किया गया और ना ही सहोता सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल द्वारा किसी प्रकार का अवैधानिक लाभ लिया गया है। अतः सहोता अस्पताल पर अ0आ0उ0योजना द्वारा लगाये गये आरोप गलत, निराधार एवं मिथ्या आरोप निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि सहोता सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की और ना ही किसी प्रकार का कोई षडयंत्र किया गया।

02.09.19

आरोप संख्या 01 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

डॉ0 रवि सहोता, डायरेक्टर, सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरो ट्रॉमा सेन्टर, मुरादाबाद रोड, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर द्वारा अपने प्रतिउत्तर में स्वंय स्वीकार किया है कि डॉ0 नवप्रीत कौर, स्त्रीरोग विशेषज्ञ वर्ष सितम्बर, 2017 से एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में संविदा चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। उनके द्वारा राजकीय चिकित्सालय में ड्यूटी के समय/उपरान्त प्राइवेट चिकित्सक के रूप में कार्य किया जाता रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि डॉ0 नवप्रीत कौर एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय में पूर्णकालिक संविदा डाक्टर के रूप में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में जिन रोगियों का उपचार उनके द्वारा एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय में किया जा रहा था, उनका ऑपरेशन सहोता हॉस्पिटल में किया जाना दर्शाता है कि उनके द्वारा सहोता हॉस्पिटल में उपरोक्त रोगियों का उपचार कर, सहोता हॉस्पिटल को अवैधानिक लाभ दिया गया है। अतः अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सहोता हॉस्पिटल द्वारा किये गये अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया जाना भी दर्शाता है।

सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक/मालिक डा0 रविशेर सहोता हैं, डा0 नवप्रीत कौर उनकी पत्नी हैं। डा0 नवप्रीत कौर सहोता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में एक मात्र स्त्रीरोग विशेषज्ञ है तथा साथ ही एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय में भी वह संविदा पर पूर्णकालिक स्त्रीरोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। एक ओर डा0 नवप्रीत कौर राजकीय चिकित्सालय में तैनात हैं वहीं दूसरी ओर अपने पति के चिकित्सालय में भी उसी विधा के लिए एक मात्र चिकित्सक हैं, ऐसी स्थिति में डा0 नवप्रीत कौर द्वारा अपनी चिकित्सकीय सेवायें देने में Conflict of interest होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के निजी चिकित्सालय का अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्यहित में सूचीबद्ध रहना उचित नहीं है। अतः सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने का प्रर्याप्त आधार एवं औचत्य है।

2. द्वितीय आरोप–

सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यूरोट्रोमा सैंटर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर के विरूद्ध आरोप संख्या–2 निम्न प्रकार हैः–

उक्त के अतिरिक्त 09 सिजेरियन प्रसवों के केसेज का परीक्षण करने पर यह तथ्य सामने आया है कि प्रसवोपरान्त 06 नवजात शिशुओं (जो कि सामान्य से कहीं अधिक संख्या प्रतीत होती है) को नियोनेटल आई0सी0यू0 में भर्ती कर उनका इलाज डा0 नवप्रीत कौर के पति डा0 रवि

02.09.19

सहोता द्वारा (जो अस्पताल के मालिक हैं) किया गया है तथा अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत उनके क्लेम प्राप्त किए गए हैं जो कि संदेहास्पद प्रतीत होता है। यह कृत्य अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु संदेह उत्पन्न करता है।

उपरोक्त वर्णित 09 मरीजों का सिजेरियन ऑपरेशन किये जाने के पश्चात् 06 नवजात शिशुओं को (baby of Mrs Sunita CASE/HOSP5P28592/E16319, Mrs Puja Aggarwal CASE/HOSP5P28592/D16485, Mrs Nootan CASE/HOSP5P28592/D18603, Mrs Nazia CASE/HOSP5P28592/D17030, Mrs Nasreen CASE/HOSP5P28592/D40047 and Mrs Chamanlata CASE/HOSP5P28592 /D40053) क्रिटिकल केयर–नियोनेटल पैकेज के अंतर्गत डॉ0 रविशेर सहोता PG Diploma (Post Graduate, Pediatrics & Neonatology) की देखरेख में भर्ती किया गया, इन 06 केसेस के अतिरिक्त 09 अन्य केस भी इस पैकेज के अंतर्गत भर्ती किये गये जो कि सामान्यतः आवश्यकता से बहुत ही अधिक संख्या में है। यह कृत्य अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु किया गया है।

<u>आरोप संख्या–02 का प्रतिउत्तरः–</u>

महोदय/महोदया यहॉ पर आपको यह अवगत कराना बहुत जरूरी हो गया है कि जिन 06 नवजात शिशुओं को क्रिटिकल केयर–न्यूरेटल पैकेज के अन्तर्गत डॉ0 रवि सहोता की देखरेख में किया गया उन सभी नवजात शिशुओं को क्रिटिकल केयर–न्यूरेटल पैकेज के अन्तर्गत इलाज की ही आवश्यकता थी सहोता हॉस्पिटल की एन0आई0सी0यू0 में भर्ती उन सभी नवजात शिशुओं को निम्नलिखित बीमारियां थी।

मरीज का नाम	बीमारी का नाम
Baby of Sunita	TERM, AGA, RDS, EOS
Baby of Puja Agrawal	TERM, AGA, SEVERE BIRTH ASPHYXIA, RDS, HIE STAGE-II
Baby of Nazia	TERM, AGA, RDS, BIRTH ASPHYXIA, EOS, HIE STAGE-II
Baby of Nootan	PRETERM, 32 WEEKS, AGA, RDS, EOS, BIRTH ASPHYXIA
Baby of Nasneen	PRETERM, 35-36 WEEKS, AGA, RDS
Baby of Chamanlata 1	TERM, AGA, BIRTH ASPHYXIA, PULMONARY HYPERTENSION
Baby of Chamanlata 2	TERM, AGA, BIRTH ASPHYXIA

SPECIAL NOTE:-
AGA- Appropriare of Gestational Age
RDS- Respiratory distress syndrome
EOS- Early onset sepsis
HIS- Hypoxic Ishemic Encephalopathy

02.09.19

नोटः— महोदय/महोदया यहाँ पर आपको यह अवगत कराना जरूरी है कि मरीज चमनलता को Twin Pregnancy थी। इसलिए अनके दोनों बच्चों को बीमारियों के चलते एन0आई0सी0यू0 में भर्ती किया गया था।

उपरोक्त मरीजों को विभिन्न अलग अलग प्रकार की बीमारियां थी इन सभी बीमारियों का उल्लेख हमने अटल आयुष्मामान उत्तराखण्ड योजना के पोर्टल पर मरीजों का प्री—आथराईजेशन लेते समय क्लीनिकल नोटस में भी किया गया है। अतः स्पष्ट है कि नवजात शिशुओं को क्रिटिकल केयर एवं न्येनेटल पैकेज के अन्तर्गत भर्ती करने पर डॉ0 रवि सहोता द्वारा किसी भी अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसा नहीं किया गया है।

यहाँ पर आपको अवगत कराना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों से नवजात शिशुओं को इलाज के लिये सहोता हॉस्पिटल के एन0आई0सी0यू0 केयर के लिये रैफर किया जाता है। सहोता हॉस्पिटल में मौजूद एन0आई0सी0यू0 क्षेत्र का एक मात्र लेबिल III एन0आई0सी0यू0 है जिसमें विश्व के अत्याधुनिक उपकरण मौजूद हैं जैसे—

1. Dragar 8000 Plus High Frequency Occillatory Ventilator =01
2. Medisys ventilator- 01
3. L&T Ventilator – 02
4. CPAP – 02
5. High Flow Nasal Ventilator – 02
6. State of art NICU Ward

आरोप संख्या 2 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्षः—

सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है जिन नवजात शिशुओं को क्रिटिकल केयर—नियोनेटल पैकेज के अन्तर्गत डॉ0 रवि सहोता की देखरेख में किया गया उन सभी नवजात शिशुओं को क्रिटिकल केयर— नियोनेटल पैकेज के अन्तर्गत इलाज की ही आवश्यकता थी। हॉस्पिटल द्वारा आरोप के उत्तर में यह कहा गया है कि Neonatal के Additional Packages आवश्यकतानुसार ही लिए गये हैं।

क्रियान्वयन सहायता ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार हॉस्पिटल द्वारा कुल 09 सिजेरेयिन डिलीवरी के केसेस में 08 केसेस में 09 Neonatal पैकेज तथा इसके अतिरिक्त 07 अन्य Neonatal पैकेज इस प्रकार कुल 16 Neonatal पैकेज लिए गये हैं। इस सम्बन्ध में अभिलेखों के अनुसार सम्यक परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त निम्न स्थिति स्पष्ट होती हैः—

02.09.19

1– हॉस्पिटल द्वारा निम्न वर्णित 05 केसेस में पैकेज संख्या **M300003 Intensive Neonatal Care Package** (5000 रूपये प्रतिदिन) लिया गया है–

I. Case No CASE/HOSP5P28592/D16319 Baby of Mrs. Sunita (Birth Weight 2.1 Kg- TERM,AGA,EOS & RDS)
II. Case No CASE/HOSP5P28592/E19485 Baby of Mrs. Reshma (Birth Weight 2.8 Kg- TERM,AGA, & RDS)
III. Case No CASE/HOSP5P28592/D40062 Baby of Mrs. Pushpa Rani (Birth Weight 3.0 Kg- TERM,AGA,HIE,RDS,NNJ & EOS)
IV. Case No CASE/HOSP5P28592/D40044 Baby of Mrs. Mamta Rawat (Birth Weight 2.4 Kg- TERM,AGA,HIE,,NNJ,MACE & Late onset Sepsis)
V. Case No CASE/HOSP5P28592/D47860 Baby of Mrs. Aarti (Birth Weight 2.6 Kg- TERM ,AGA, RDS, BA & ?PPHN)

इन 05 केसेस हेतु हॉस्पिटल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की Guidelines के अनुसार Package Criteria निम्न प्रकार हैं:–

Babies with birth weight 1500-1799 g

or

Babies of any birth weight and at least one of the following conditions:

- Need for mechanical ventilation for less than 24 hours or non-invasive respiratory support (CPAP, HFFNC).
- Sepsis / pneumonia without complications
- Hyperbilirubinemia requiring exchange transfusion
- Seizures
- Major congenital malformations (pre-surgical stabilization, not requiring ventilation)
- Cholestasis significant enough requiring work up and inhospital management
- Congestive heart failure or shock

NHA की गाइडलाइन्स के अनुसार उपरोक्त 05 केसेस Package Criteria में नहीं आते है अतः योजना के अन्तर्गत यह क्लेम अनुमन्य नहीं हो सकता है।

2– हॉस्पिटल द्वारा निम्न 10 केसेस में पैकेज संख्या **M300005 Critical Care Neonatal Package** (7000 रूपये प्रतिदिन) लिया गया है।

I. CASE/HOSP5P028592/D16486 Baby Of Mrs Puja Aggarwal (Birth Weight 2.1- Kg- TERm,AGA,Severe Birth Asphyxia RDS &HIE)
II. CASE/HOSP5P028592/D17030 Baby of Mrs Nazia (Birth Weight 3.2Kg- TERM,AGA,Severe Birth Asphyxia RDS,EOS & HIE)

02-09-19

III. CASE/HOSP5P028592/D40047 Baby of Mrs Nasreen (Birth Weight 2.0Kg- Pre –Term 35 – 36 Weeks with Respiratory Distress, AGA

IV. CASE/HOSP5P028592/D40056 Baby of Mrs Chamanlata- 1 (Birth Weight 2.3Kg- TERM,AGA, Birth Asphyxia & Pulmonary Hypertension)

V. CASE/HOSP5P028592/D40053 Baby of Mrs Chamanlata- 2 (Birth Weight 2.4Kg- TERM,AGA Birth Asphyxia & RDS)

VI. CASE/HOSP5P028592/D14344 Baby of Mrs Shabehaa Khatoon- Aged 2 Months (Birth Weight Not Mentioned- Severe Pneumonia & RDS)

VII. CASE/HOSP5P028592/D15040 Baby of Mrs Priyanka- (Birth Weight -2.5 Kg,TERM, AGA,RDS,EOS)

VIII. CASE/HOSP5P028592/D20108 Baby of Mrs Roshan Jahan- (Birth Weight -3.2 Kg,TERM, AGA,RDS& MASF)

IX. CASE/HOSP5P028592/D18652 Baby of Mrs Salma- (Birth Weight -1.9 Kg,TERM, SGA,RDS&MASF)

X. CASE/HOSP5P028592/D20138 Baby of Mrs Nootan- (Birth Weight -2.0 Kg,Pre- TERM, AGA&RDS)

इन 10 केसेस में हॉस्पिटल द्वारा लिये गये Package के सम्बन्ध में NHA की Guidelines के अनुसार Package Criteria निम्न प्रकार हैं:–

Babies with birth weight of <1200 g

Or

Babies of any birth weight with at least one of the following conditions:

- Severe Respiratory Failure requiring High Frequency Ventilation or Inhaled Nitric Oxide (INO)
- Multisystem failure requiring multiple organ support including mechanical ventilation and multiple inotropes.
- Critical congenital heart disease

NHA की उक्त गाइडलाइन्स के अनुसार उपरोक्त 10 केसेस में से कोई भी केस Package Criteria में नहीं आता है। अतः योजना के अन्तर्गत इन 10 केसेस का क्लेम अनुमन्य नहीं हो सकता है।

उक्त विवरण विवरण से स्पष्ट है कि सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा **Neonatal Care के 15 केसेस में लिये Package राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की Guidelines के Package Criteria में नहीं आते हैं, अतः हॉस्पिटल को अनुबन्ध के अनुसार इन केसेस के क्लेमस् अनुमन्य नहीं है और ये सभी केसेस निरस्त करने योग्य हैं।**

अतः सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर को कारण बताओ नोटिस के आरोप संख्या 02 में लगाये गये आरोप सिद्ध होते हैं। **आरोप सिद्ध होने के क्रम में वर्णित कुल 15 केसेस (रू0 703000/–) निरस्त किये जाते हैं।** आरोपित कुल 15 केसेस में से **03 केसेस की धनराशि रू0 114000/– जो** सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, **काशीपुर द्वारा प्राप्त की जा चुकी है, जो हॉस्पिटल को वापस करनी होगी, इस धनराशि की कटौती राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा हॉस्पिटल के लम्बित केसेस के भुगतान से किये जाने के आदेश दिये जाते है।** इसके अतिरिक्त आरोपित कुल 15 केसेस में से **12 केसेस की धनराशि रू0 589000/– जो उनके द्वारा क्लेम की गई है और जिसका अभी भुगतान नहीं किया गया है, की धनराशि हॉस्पिटल को देय नहीं होगी। उक्त वर्णित 15 केसेस** Unnecessary package **की श्रेणी में होने के कारण इन कुल 15 केसेस में क्लेम की गई धनराशि रु0 703000/– पर एक गुना अर्थदण्ड रु0 703000/– भी लगाया जाता है।**

3. तृतीय आरोप –

सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यूरोट्रोमा सैंटर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर के विरूद्ध आरोप संख्या–3 निम्न प्रकार है:–

सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा 8 अप्रैल 2019 तक 07 क्लेमस कैटरेक्ट सर्जरी के प्रस्तुत किए गए है जिसमें से 06 केसेज में अनावश्यक रूप से मेडिकल मैनेजमेंट का भी पैकेज लेकर प्रति मरीज रू0– 9000 से 10,000 तक अतिरिक्त क्लेम की धनराशि प्राप्त की गई है। यह कृत्य अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 05 मरीज मोतियाबिंद (CASE/HOSP5P28592/D36515 Mrs Triveri, CASE/HOSP5P28592/S36500 Mr Vinod Kumar, CASE/HOSP5P28592/D29497 Mrs Akbari Begam, CASE/HOSP5P28592/D33186 Mr. Mohd. Jafar, CASE/HOSP5P28592/D36484 Mrs. Akbari Begam) तथा 01 मरीज (CASE/HOSP5P28592/D26313 Mr. Mohd. Rashid Diagnosis Pterigium) का ऑपरेशन किया गया इनमें से इन मरीजों का Mrs Akbari Begam, Mrs Triveri CASE/HOSP5P28592/D32915 (Hypertention), Mr Vinod

02.09.19

CASE/HOSP5P28592/S32721 (Hypertention), Kumar एवं Mr. Mohd. Jafar CASE/HOSP5P28592/D30692 (Hypertention) मोतियाबिन्द के अतिरिक्त लिखित प्री–ऑथराईजेशन अप्रूवल लेकर ईलाज किया गया । उपरोक्त वर्णित मोतियाबिन्द के 05 मरीजों में अतिरिक्त पैकेज लेकर भर्ती करके ईलाज करना जबकि बीमारी का उपचार बाह्य रोगी के रूप में भी संभव है। तथा किसी भी मरीज के ऑपरेशन करने से पहले उसका Pre operative assessment करना आवश्यक होता है जाँच रिर्पोट के आधार पर मरीज का ऑपरेशन किया जाता है। उपरोक्त संदर्भ में मरीजों के ऑपरेशन के साथ अतिरिक्त पैकेज लेकर ईलाज करना अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु किये गये धोखाधड़ी की पुष्टि करता है।

आरोप संख्या– 03 का प्रतिउत्तरः–

महोदय/महोदया जी जैसा कि जॉच समिति द्वारा आरोप लगाया गया है कि सहोता हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 08.04.2019 तक 07 केसेज केटरेक्ट सर्जरी के प्रस्तुत किये गये, जिनमें 06 केसेज में मेडिकल मैनेजमेंट का भी पैकेज लिया गया। महोदय/महोदया यहॉ पर आपको यह अवगत कराना अति आवश्यक है कि जिन 07 मरीजों की केटरेक्ट सर्जरी सहोता हॉस्पिटल में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत की गयी उनके से अधिकांश लोग वृद्ध थे। जिन मरीजों को मेडिकल मैनेजमेंट का पैकेज लेकर इलाज किया गया उनको या तो अनकन्ट्रोल ब्लडप्रेशन या शुगर की बीमारी थी, जिनको कन्ट्रोल किये बिना केटरेक्ट सर्जरी किया जाना सम्भव नहीं था। हमने मरीज व मरीज के परिजनों को इस बारे में बता दिया था कि केटरेक्ट सर्जरी से पहले मरीजों का ब्लड प्रेशर या शुगर का कन्ट्रोल किये बिना इलाज नहीं किया जा सका। जिसके लिए मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता थी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के निर्देशानुसार एक बार में मरीज का एक ही बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इसलिए पहले मरीजों के अनकन्ट्रोल ब्लड प्रेशन व शुगर को कन्ट्रोल करने के लिए मरीजों को मेडिकल मैनेजमेंट के पैकेज के अन्तर्गत रखकर इलाज किया गया, उसके बाद ही उक्त मरीजों की केटरेक्ट सर्जरी की गयी।

<u>SPECIAL NOTE</u>:- महोदय/महोदया जी यहॉ पर हम आपको यह अवगत कराना चाहते है कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरो ट्रामा सेन्टर, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के सभी मरीजों का पहले प्री–ऑथराइजेशन लिया गया उसके बाद ही उक्त मरीजों का इलाज किया गया। अतः महोदय/महोदया जी से विन्रमता पूर्वक निवेदन है कि उक्त मरीजों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से सहोता हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा असंवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु नहीं किया गया।

02.09.19

आरोप संख्या–03 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी से अभिलेखों को प्राप्त करके पुनः परीक्षण किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि यह आरोप पूर्णतयः सिद्ध नहीं होता है। अतः हास्पिटल को संदेह का लाभ देते हुए यह आरोप ड्राप किया जाता है।

–आदेश–

सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सेन्टर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर को आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/224 दिनांक 01 जून 2019 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों के क्रम में लगाये गये 03 आरोपों के क्रम में उनके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर दिनांक–15.06.2019 एवं 26.07.2019 के परीक्षण व निष्कर्ष के उपरान्त आरोप संख्या01 एवं आरोप संख्या 02 सिद्ध होते हैं। तद्नुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) की गाइडलाइन्स तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) के साथ अनुबन्ध की शर्तों के पालन न होने को दृष्टिगत रखते हुये निम्न आदेश पारित किये जाते हैं–

सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सेन्टर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं के लिए सूचीबद्ध रखा जाना जनहित में वांछनीय नहीं है। **अतः सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सेन्टर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर की सूचीबद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये उसका De-empanelment किया जाता है तथा हॉस्पिटल के कुल लंबित केसेस में से निरस्त किये गये केसेस की धनराशि एवं अर्थदण्ड का समायोजन करने के पश्चात् शेष धनराशि रू0 163550/–** सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सेन्टर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर **इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को "CEO ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND YOJANA" के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा HDFC Bank, Account no. 50100102180582, IFSC code: HDFC 0000225 में RTGS/ NEFT के माध्यम से वापिस करना सुनिश्चित करें।** RTGS/ NEFT के माध्यम से उक्त धनराशि वापिस करने की दशा में Unique Transaction ID इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त वर्णित धनराशि वापिस न करने पर **नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।**

सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सैंटर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर द्वारा धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज आदि के सम्बन्ध में

02.09.19

जो आपराधिक कृत्य किये गये हैं उनके लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराकर पृथक से कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश को डॉ0 रवि शेर सहोता, संचालक, सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सैंटर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि वे जन–साधारण को सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सैंटर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर की सूचीबद्धता समाप्त होने से अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) को इस आशय से प्रेषित कि अपने प्रकोष्ठ से सम्बन्धित आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।

5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. डॉ0 रवि शेर सहोता, संचालक, सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड न्यूरोट्रोमा सैंटर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
7. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

02.09.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना